माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक /पुनरीक्षण 16–17

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/4751

सतीश पिता बालकिशनजी छईया, आयु–62 वर्ष, धंधा–कुछ नही, जाति धोबी, निवासी–114, गुमास्ता नगर सुखदेव काटनप्रेस वार्ड नं. 18, आगर रोड़ उज्जैन ———आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला उज्जैन ———अनावेदक

श्री मनीष शर्मा द्वारा प्रस्तुत दिनांक 03/11/2017 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार अपील प्रस्तुत है :–

22.12.17

माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक 854/अपील/16–17 में दिनांक 23/09/2017 को अंतिम आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील को बिना गुण–दोष पर विचार किये निरस्त किये जाने से असंतुष्ट व व्यथित होकर आवेदक की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष नियत समयावधि में यह अपील प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा 114 गुमास्ता नगर जो कि सुखदेव काटनप्रेस की भूमि के पास लगा हुआ है उसकी भूमि को आवेदक ने जर्ये अनुबंध पत्र क्रय किया व अपनी प्रिन्टिंग प्रेस उक्त भूमि में स्थापित की । वर्ष 1992 में आवेदक ने उक्त भूमि पर अपने मकान का निर्माण किया तबसे ही आवेदक उक्त भूमि पर आधिपत्यधारी होकर उक्त भूमि पर बने भवन में अपने परिवार सहित निवास करता है तबसे ही आवेदक को भवन या भूमि खाली करने हेतु न तो कभी भी कोई सूचना पत्र दिया गया तथा ना ही उक्त भूमि पर बने निर्माण को हटाने के लिये रेस्पान्डेंट द्वारा कोई कार्यवाही की गई । अनावेदक/रेस्पान्डेंट ने अचानक अतिक्रमण के संबंध में आवेदक को सूचना पत्र दिया गया व बिना सुनवाई के अवसर दिये विधि विरूद्ध जाकर उक्त भूमि का

सतीश छईया

निरन्तर.........2

PBR/निग/अमौ/स्र.आ./2017/4751

DD 20/4/18

आवेदक अभिभावक सूचना उपरांत अनुपस्थित। तीनबार पुकार लगवायी गयी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभावक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदमपैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष